eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

लैंगिक हिंसा और मानवीय गरिमा

[1]हृदेष कुलश्रेष्ठ
[1]डॉ. विक्रान्त शर्मा
[1]शोधकर्ता
[1]विभागाध्यक्ष, कला संकाय हिन्दी विभाग, पी.के.यूनिवर्सिटी, करैरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 30 September 2023, Published : 01 Nov 2023

Abstract

इस शीर्षक पर अपने आलेख को आगे बढ़ाने से पहले हमें हिंसा के सम्बन्ध में समीचीन (Accurate) जानकारी करना अपेक्षित होगा। ''स्वयं, किसी व्यक्ति अथवा समूह या समुदाय के विरुद्ध जानबूझकर उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुँचाने के उद्देश्य से किये गये अप्रिय शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहा जाता है।''

शब्द संक्षेप– भारतीय समाज, लैंगिक हिंसा, मानवीय गरिमा, दशा एवं दिशा।

Introduction

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है कि– ''स्वयं के विरुद्ध, किसी अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध शारीरिक बल या शक्ति का साभिप्राय उपयोग हिंसा है। चाहे वह धमकीस्वरूप या वास्तविक मारपीट, जिसके परिणाम या उच्च सम्भावनायें चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक क्षति, दुर्बलता या कुविकास पतन के रूप में होते हैं।''

हिंसा तीन प्रकार की हो सकती हैं –

(i) स्वयं के द्वारा निर्देशित की जाने वाली हिंसा।

(ii) किसी व्यक्ति के स्वयं के द्वारा की जाने वाली हिंसा।
और

(iii) कई लोगों अथवा उनके समूह द्वारा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के समूह पर किया जाने वाला आक्रामक कृत्य,

जिनमें –
शारीरिक
यौन
मनोवैज्ञानिक
और भावनात्मक हिंसा क्रियायें होना स्वाभाविक होता है।

इसी विषय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब हम लैंगिक हिंसा के बारे में विचार करते हैं तो पता चला है कि ये तो अत्यन्त ही गम्भीर विषय है? ये मात्र भारत में नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर व्याप्त है। हम जब अपने भारत वर्ष की लैंगिकता पर बात करते हैं तो पता चलता है कि भारत के संविधान के भाग 3 में दिये गये मौलिक अधिकारों में सूचीबद्ध किये गये समानता के अधिकारों को भी स्थान दिया गया है, जिसमें यहाँ के नागरिकों को मिले मूल अधिकारों के अन्तर्गत ''समानता के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

अधिकार'' को संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक ''विधि के समक्ष समानता'' को विस्तृत रूप से इसे अर्थान्वित किया गया है संविधान का अनुच्छेद 15(1) इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या क्षेत्र या स्थान विशेष में जन्मे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि जब भारतीय संविधान में भारतीयों के लिये और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में लिंग–भेद न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थायें हैं तो लैंगिक हिंसा कैसी?

क्या ये मानवीय गरिमा को प्रभावित नहीं करतीं ?
क्या इससे हमारे देश की संस्कृति प्रभावित नहीं होती ?

क्या इस लैंगिक हिंसात्मक गतिविधियों के चलने से विश्व पटल पर गलत सन्देश नहीं जाता? एक ओर जहाँ ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' अर्थात् धरती ही परिवार है, का उद्घोष करने वाले भारत वर्ष की सनातन संस्कृति में ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः को मान्यता दी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ होने वाले पक्षपातपूर्ण रवैया, भेदभाव, उनकी हत्या और जन्म हत्यायें इस लैंगिक पक्षपात और हिंसा का कितना डरावना पहलू है।

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का लिंगानुपात बहुत है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन वोर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई, 2021 तक भारत की जनसंख्या 139,44,20,224 थी, जो 31 जुलाई, 2023 तक 142,97,09,500 पहुँच गयी है, जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है।

पहले भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मात्र 940 महिलायें ही हुआ करती थीं, जो एक चिन्ता का विषय था। इसी विषय पर सन् 1990 में नोबल पुरुस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारत में महिलाओं के अनुपात पर चिन्ता व्यक्त की और महिलाओं की कमी को ''मिसिंग वूमैन'' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि प्रति 1000 पुरुषों के बीच महिलाओं की संख्या 927 थी। ऐसी स्थिति में इस समस्या का सामना किये जाने से मुक्ति दिलाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' का अभियान शुरू किये जाने से अब महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार अब पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1020 हो गयी है। लेकिन मानवीयता की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है। जब हम महिलाओं के साथ होते हिंसा और अत्याचारों पर दृष्टिपात करते हैं। आपको याद होगा कि पहले जब किसी परिवार में कोई महिला शिशु जन्म लेती थी तो उसे खाट के पाये के नीचे दबाकर मार डाला जाता था। फिर एक ओर जैसे–जैसे समाज का विकास हुआ। शिक्षा का स्तर बढ़ता गया। वैसे ही वैसे लोगों में परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की चाहत बढ़ती चली गयी और दूसरी ओर चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ, जिसमें एक लिंग परीक्षण की तकनीक आयी। लड़के की चाहत में लोगों ने प्रसव से पूर्व लिंग परीक्षण कराना शुरू कर दिया, जिससे भ्रूण हत्याओं में वृद्धि होती गयी। सामाजिक मान्यताओं में लड़के को कुलदीपक माना जाने लगा। दुर्भाग्यवश किसी परिवार में किसी महिला के लड़का होने की चाहत में 10 की संख्या तक लड़कियों ने जन्म लिया

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

तो उन परिवारों में महिलाओं के साथ वैचारिक मतभेद शुरू होने लगे। लोगों ने उन्हें ताहिने देना/तंज कसना शुरू कर दिया और पति व सास ने उनकी पिटाई करना षुरू कर दिया, जिसका परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ा। उनके साथ आये दिन पक्षपात किया जाना, मानसिक यातनायें, शारीरिक यातनायें और खुले आम सामाजिक रूप से निन्दा किया जाना शुरू हुआ और फिर शुरू हो गया महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाओं की संख्या में वृद्धि का दौर। और ये घरेलू हिंसा उस स्तर तक जा पहुँची, जहाँ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

इस लैंगिक हिंसा का सामना मात्र महिलाओं को ही करना पड़ता है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी बुरी व्यवस्थायें प्रचलन में थीं– जैसे लड़के वालों द्वारा दहेज की मॉग किया जाना, समाज में होने वाले लड़कों को अपना वंश चलाने वाला मानना। परिवार की आय अर्जित करने वाला मानना आदि। जिसका परिणाम ये हुआ कि महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा और लड़कियों के साथ उन्हें खाने–पीने को दी जाने वाली वस्तुऐं लड़कों की अपेक्षा कम देकर उन्हें ''पराये घर का कूड़ा'' तक कहकर उनके साथ पक्षपात किया जाने लगा और उस स्थिति में लड़कियों द्वारा उसका विरोध किये जाने पर उनके साथ मारपीट के रूप में हिंसा की जाने लगी। मानवीय गरिमा वैश्विक रूप से मानवाधिकार व्यवस्था की मूलभूत अवधारणा है, जिसे ''अल्टीमेट वैल्यू'' कहा जाता है, जो लोगों को उनके अधिकारों की समानता प्रदान करता है। जब सन् 1993 में वियना में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उनके घोषणा पत्र में भी इस बात की पुष्टि हुई जिसमें कहा गया कि– ''सभी मानवाधिकार मानवीय व्यक्ति में सम्मान और मूल्य के रूप में निहित हैं।'' मानवीय गरिमा वह अवधारणा है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन के नैतिक, विधिक और राजनीतिक चर्चाओं में यह दर्शाने के लिये किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को मूल्यांकित होने और नैतिक व्यवहार को सरलता और सहजता के साथ प्राप्त करने का अधिकार है जो इस युग की अन्तर्निहित और अतुलनीय अधिकारों की अवधारणाओं का विस्तार है, जो मानवता के महत्व और सामाजिक से जुड़ा विशिष्ट अर्थ है। शाब्दिक रूप से गरिमा विश्लेषण है गरिमा लैटिन भाषा के 'डीकस' संज्ञा से आता है, जिसका तात्पर्य आभूषण, सम्मान, महिमा और भेद से होता है और सामान्य बोल चाल की भाषा में गरिमा का अर्थ अपने सम्मान के हक में खड़ा होना। यानि किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर और यह उसको सन्दर्भित करता है, जो एक व्यक्ति विशेष को बिना किसी पक्षपात के उसके सम्मान में सम्मिलित करता है।

भारत में लैंगिक हिंसा रोकने के लिए –
''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।''

''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005'' और PCPNDT Act 1994, जिसका पूरा नाम है Pre-conception & Pre-natal Diagnostic Technical Act 1994, जिसे हिन्दी में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम 1994, जो कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिये संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। बताया गया है। ताकि अल्ट्रासाउण्ड और अल्ट्रासोनोग्राफी कराकर जन्म से पूर्व लिंग की जाँच कराये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, यदि फिर कोई भी जोड़ा (पति–पत्नी) लिंग परीक्षण कराने आते हैं या कोई

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

डाक्टर लैबकर्मी जाँच कराने आते हैं तो उसे 5 साल तक की सजा और 10 से 50 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया है।

सरकार ने महिलाओं पर उसके परिजनों द्वारा दहेज न दिये जाने या दहेज कम दिये जाने पर उनसे की जाने वाली दहेज की मांग पूरी न होने पर उस महिला के पति अथवा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार करने और उसे प्रताड़ित करने से बचाये जाने के लिये ही ''दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961'' बनाया है, जो लैंगिक हिंसा को प्रतिषिद्ध किये जाने की दिशा में ही सरकार की एक पहल है, यदि अन्तरदर्शन और पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए मानवीय गरिमा के क्षेत्र में नित नये अभिनव प्रयास किये जाते रहे और लैंगिक हिंसा को रोके जाने की पहल की जाती रही तो वो दिन दूर नहीं, जब लैंगिक हिंसा समाप्त ही नहीं होगी, बल्कि भारतवर्ष का नाम सम्पूर्ण विश्व पटल पर अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़कर विश्वगुरू का दर्जा प्राप्त करने में किसी से पीछे न रहेगा।